भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †25
सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

सुरक्षित पर्यटन स्थलों की स्थिति

†25. **डॉ. उमेश जी. जाधवः**
डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजीः
श्री एस. मुनिस्वामीः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः
श्री प्रताप सिम्हाः
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश को विश्व स्तर पर सबसे आकर्षक पर्यटक आकर्षणों में से एक का दर्जा प्राप्त नहीं होने के मुख्य कारण सुरक्षा का अभाव, दुकानदारों द्वारा धोखाधड़ी, किराए के वाहनों के चालक, स्थानीय लोगों का अमित्रवत व्यवहार, गुणवत्ता सुविधाओं की कमी, आर्थिक शोषण आदि हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र में धीमी वृद्धि के नकारात्मक कारकों की पहचान करने हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कोई विस्तृत तथ्यान्वेषी अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राज्यों के परामर्श से क्या कार्रवाई शुरू करने का विचार है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार से संबंधित है तथापि पर्यटन मंत्रालय ने विशेष रूप से पर्यटन पुलिस की स्थापना हेतु यह मामला सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के समक्ष उठाया है । पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटन पुलिस की तैनाती की है ।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' को पारित किया है जो पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा तथा उत्पीड़न से मुक्ति जैसे मूलभूत अधिकारों के साथ पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है ।

(ख) और (ग) : पर्यटन का संवर्धन और विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है । तथापि, कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र की बहाली के लिए मंत्रालय ने अपने संदेशों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का कारगर ढंग से इस्तेमाल किया है और सामाजिक दूरी, सुरक्षित एवं जिम्मेदार यात्रा, यात्रा के समय मास्क के उपयोग, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, उद्योग जगत के लिए की गई पहलों के संवर्धन आदि के बारे में जानकारी दी है । विदेशों में एक गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन के लिए यह मंत्रालय एकीकृत विपणन तथा संवर्धनात्मक कार्यनीति को अपनाता है और यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों तथा भारतीय मिशनों के सहयोग से एक समन्वित अभियान चलाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारत को जानें संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, रोड शोज तथा इंडिया इवनिंग्स का आयोजन, ब्रोशर सहायता, यात्रा एजेंटों/टूर

ऑपरेटरों के साथ संयुक्त रूप से विज्ञापन, भारतीय खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन तथा उन्हें सहायता प्रदान करना, ब्रोशर का प्रकाशन और मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अपने देश की यात्रा हेतु टूर ऑपरेटरों, मीडिया हस्तियों, ओपीनियन मेकर्स आदि को आमंत्रित करना शामिल है ।

इसके परिणामस्वरूप जनवरी से जून 2021 के दौरान 0.4 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमनों की तुलना में वर्ष 2022 की समान अवधि में भारत में 1.6 मिलियन (अनंतिम) विदेशी पर्यटक आगमन हुए ।

*****